

धारा-47. अंशों के क्रय के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन.- प्रमुख राज्य भागिता-निधि या सहायक राज्य भागिता-निधि के धन से, किसी सहकारी समिति में कोई अंश राज्य सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना क्रय नहीं किया जायेगा।